

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./95/2025 जी0सी0एम0एस0 2025/160

1. चिन्ता पत्नि लाला लोहार पुत्र बंदी जाति लोहार निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला अजमेर हाल निवासी माता जी का खेड़ा, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. पपूड़ी पत्नि प्रहलाद पुत्री बंदी जाति लोहार निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला अजमेर हाल निवासी किटाप तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील-भिनाय जिला-अजमेर।

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक:-16.07.2025

- उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- श्री त्रिलोक जांगिड़
2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा कैरोट पटवार क्षेत्र कैरोट भू0अ0नि0 क्षेत्र नान्दसी के खाता सं0 308 में दर्ज खसरा संख्या 2671 रकबा 0.88, खसरा संख्या 2674 रकबा 2.2 कुल किता 02 कुल रकबा 3.08 हैक्ट जो कि प्रार्थीगणों के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 01 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थीगणों को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय को जरिये नोटिस वास्ते जवाब तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब देते हुए, मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजीयात खातेदारी बताते हुए, पत्रावली आदेशिका पर टिप्पणी अंकित की गई कि, प्रार्थी द्वारा पड़ोसियों से सीमा को लेकर विवाद होना बताया गया है। अतः प्रकरण में पड़ोसियों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है। पत्रावली में बहस पत्रावली सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए, कथन किये गये कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थीयांगणों की खातेदारी आराजी है, जिसमें प्रार्थीयांगणों का कब्जा काश्त बताते हुए, प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। दौराने बहस पैरोकार सरकार द्वारा जवाब अनुसार कथन दौहराये गये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम कैरोट के खाता संख्या 308 संवत 2071-2074(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजीयात प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रश्नगत आराजीयात प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। दौराने बहस प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी पर अपना कब्जा काश्त होना बताया है। जिसका खण्डन अप्रार्थी द्वारा नहीं किया गया है। अतः वाद अवलोकन एवं मनन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128

5)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

भू-राजस्व अधिनियम का अनुतोष योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा कैरोट पटवार क्षेत्र कैरोट भू0अ0नि0 क्षेत्र नान्दसी के खाता सं0 308 में दर्ज खसरा संख्या 2671 रकबा 0.88, खसरा संख्या 2674 रकबा 2.2 कुल किता 02 कुल रकबा 3.08 हैक्ट हेतू नायब देवलियांकलां भिनाय को 500/- रू(पांच सौ रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थीगणों की उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार झिगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
उपसहाय, अजमेर
भिनाय (अजमेर)